XI-HC-78

2007:CGHC:10462

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 84/2001

अपीलार्थी: तनूराम, आत्मज धनाराम कलगा, लगभग 25 वर्ष, व्यवसाय- कृषि मजदूर, निवासी- चिंगारी, थाना- लेलुंगा, जिला: रायगढ़ (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना- लेलुंगा, जिला: रायगढ़ (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री आर.के. जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थी।

श्री डी.के. ग्वालरे, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी।

दुगलपीठ:- माननीय श्री एल.सी. भादू और

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीशगण।

XI-HC-78

मौखिक निर्णय

(दिनांक 16-3-2007 को उद्घोषित)

एल.सी. भादू, न्यायाधीश

यह अपील द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा एस.टी. क्रमांक 146/98 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश दिनांक 5 दिसंबर, 2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत संतूराम की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संक्षेप में, अभियोजन का मामला यह है कि सनियारो बाई (अभियोजन साक्षी क्र. 14) का विवाह अभियुक्त तनूराम से हुआ था। दिनांक 3-5-98 की रात लगभग 7-8 बजे जब अभियुक्त घटना स्थल पर पहुँचा, तो उसने संतूराम और अपनी पत्नी सनियारो बाई के बीच कुछ आपत्तिजनक (वासनापूर्ण) देखा। उस समय उसके हाथ में एक लाठी थी। उसने लाठी से सनियारो बाई पर हमला किया। जब उसने दूसरा हमला करने का प्रयास किया, तो सनियारो बाई ने लाठी पकड़ ली, हालांकि, अभियुक्त ने उसे छीन लिया, और उस पर 2-3 बार हमला किया। उसके बाद, अभियुक्त ने उसी लाठी से मृतक के सिर पर हमला किया। इसी बीच, सनियारो बाई

भाग गई। उसके बाद, अभियुक्त ने बार-बार संतूराम के सिर पर हमला किया। सनियारो बाई ने भगतू के घर में यह बात बताई। अभियुक्त ने मृतक पर लाठी से हमला करने के बाद, एक ब्लेड से उसका शिश्न और अंडकोष का दाहिना हिस्सा काट दिया। अभियुक्त इसके बाद गाँव गया जहाँ ग्रामीणों की एक बैठक चल रही थी। उस बैठक में, उसने खुलासा किया कि जब उसने अपनी पत्नी और संतूराम के बीच कुछ आपत्तिजनक देखा, तो उसने एक डंडे से हमला कर संतूराम की हत्या कारित कर दी। उसने उसका शिश्न और अंडकोष काट दिया है। उसने उन्हें लाठी भी दिखाई। उसके बाद, अभियोजन साक्षी क्र. 3 पीलकरम ने मृतक के परिवार के सदस्यों को सूचित किया। संतराम ने मर्ग सूचना प्रदर्श-पी/16 दी, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी/1 पंजीकृत की गई। अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हुए। उन्होंने स्थल योजना प्रदर्श-पी/9 तैयार की। उन्होंने घटना स्थल से एक टोपाज ब्लेड का रैपर, मृतक के कपड़े, रक्त रंजित मिट्टी और साधारण मिट्टी जब्त की। उन्होंने प्रदर्श-पी/10 के तहत अंडकोष का टुकड़ा और शिश्न का टुकड़ा भी जब्त किया जो कुछ दूरी पर पड़े थे। पंचों को सूचना प्रदर्श-पी/3 देने के बाद, उन्होंने मृतक के शरीर पर मृत्यु समीक्षा प्रदर्श-पी/8 तैयार किया। मृतक के शव को सरकारी अस्पताल, लेलुंगा में शव परीक्षण के लिए भेजा गया जहाँ डॉ. आर.एस. उपाध्याय ने शव परीक्षण किया और शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पी/14 तैयार की। जब्त की गई वस्तुओं को प्रदर्श-पी/21 के तहत रासायनिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परीक्षण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जहाँ से रिपोर्ट प्रदर्श-पी/24 प्राप्त हुई। अभियोजन साक्षी क्र. 2 तिलकराम, उप निरीक्षक ने प्रदर्श-पी/5 अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर लाठी जब्त की। अभियुक्त के कपड़े प्रदर्श-पी/6 के तहत जब्त किए गए।

अन्वेषण पूर्ण होने के बाद, आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोड़ा के न्यायालय में दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को सुपुर्द किया, जहाँ से विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अंतरण पर मामले को प्राप्त किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित करने के लिए 20 गवाहों का परीक्षण किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत सामग्री से इनकार किया। उसने कहा है कि शत्रुता के कारण गवाहों ने उसके विरुद्ध गवाही दी है। उसने आगे कहा है कि उसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन को वह अपनी पत्नी के साथ अपने साले के घर बरकासपाली गया था। वह रात में अपने साले के घर रुका था। अगले दिन सुबह जब वह लौटा, तो उसे मृत्यु के बारे में पता चला। वह निर्दोष है और उसे इस अपराध में झूठा फंसाया गया है। उसने बचाव साक्षी-1 दुखूराम का परीक्षण इस आशय से किया कि वह रात के खाने के लिए उनके गाँव आया था।

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने संबंधित अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराया और उपर्युक्त अनुसार सजा सुनाई।

हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आर.के. जैन और राज्य/प्रत्यर्थी के उप शासकीय अधिवक्ता श्री डी.के. ग्वालरे को सुना।

मृतक संतूराम की मानव वध से मृत्यु विवादित नहीं है। अभियोजन साक्षी क्र. 16 डॉ. आर.एस. उपाध्याय ने कथन किया है कि 5-5-98 को उन्होंने संतूराम के शव का शव परीक्षण किया था। उन्होंने निम्नलिखित चोटें देखीं:-

1) शिश्न पर 4 सेमी परिधि का एक कटा हुआ घाव।

2) अंडकोष के दाहिने हिस्से पर 10 सेमी **x** 8 सेमी आकार का एक कटा हुआ घाव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) सिर के सामने वाले हिस्से पर 10 सेमी **x** 2 सेमी **x** खोपड़ी तक गहरा एक विदीर्ण घाव।

4) 9 सेमी **x** 3 सेमी **x** खोपड़ी तक गहरा एक विदीर्ण घाव।

5) दाहिने और बाएं कनपटी क्षेत्र में फ्रैक्चर था। कपाल की हड्डी भी फ्रैक्चर थी। शिश्न कटा हुआ था। अंडकोष का दाहिना हिस्सा कटा हुआ पाया गया।

उपर्युक्त चोटें मृत्यु पूर्व प्रकृति की थीं। मृत्यु का कारण कोमा और सिर की चोट थी। मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी। इसके अलावा, अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी क्र. 2 तिलकराम और अभियोजन साक्षी क्र. 3 पीलकरम के समक्ष

न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी। उपरोक्त के दृष्टिगत, यह स्थापित है कि मृतक की मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी।

जहाँ तक विचाराधीन अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता का संबंध है, इस मामले में कोई प्रत्यक्ष या चश्मदीद गवाह नहीं है। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अर्थात् अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी क्र. 2 तिलकराम और अभियोजन साक्षी क्र. 3 पीलकरम के समक्ष की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन साक्षी क्र. 2 तिलकराम और अभियोजन साक्षी क्र. 3 पीलकरम के साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति के समय और तारीख के संबंध में विरोधाभास दिखाई देते हैं, और अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा है कि अभियुक्त ने इन व्यक्तियों के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी।

दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क की विवेचना करने के लिए, हमने अभियोजन साक्षी क्र. 2 तिलकराम, जो ग्राम कोटवार हैं, के साक्ष्य का अवलोकन किया है। उन्होंने कहा है कि उनके साक्ष्य के दिन से एक वर्ष पूर्व

रात लगभग 10 बजे गाँव में रामायण समारोह और तेंदूपत्ता के संबंध में एक बैठक चल रही थी। उस बैठक में, पीलकरम, जनकराम, नत्थूराम, सुखू राम और अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। बैठक समाप्त होने तक, अभियुक्त आया और कहा कि उसने एक व्यक्ति की हत्या की है, जिस पर उन्होंने उससे पूछा, उसने किसकी हत्या की है, उसने उत्तर दिया कि उसने संतूराम की हत्या की है। उन्होंने अभियुक्त से आगे पूछा कि उसने उसकी हत्या क्यों की, उसने उत्तर दिया कि उसने नत्थूलाल के धान के पुआल के ढेर के पास अपनी पत्नी और संतूराम के बीच कुछ आपत्तिजनक देखा था, इसलिए उसने लाठी से उसकी हत्या की है। उसके बाद वे घटना स्थल के लिए रवाना हुए और देखा कि संतूराम के सिर पर चोटें थीं। संतूराम का शिश्न और अंडकोष कटे हुए थे। ग्रामीणों को शव की निगरानी के लिए छोड़कर, वह संतराम और तिलकराम के साथ पुलिस थाने गए और सूचना दी। ब्लेड का रैपर, शिश्न का हिस्सा और अंडकोष का हिस्सा मौके पर पड़ा था। इस गवाह के प्रति-परीक्षण में, बचाव पक्ष ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं निकाल पाया है जो इस गवाह के साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाती हो या यह दर्शाती हो कि अभियुक्त ने पंचायत के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति नहीं की थी या न्यायिकेतर संस्वीकृति स्वैच्छिक और सत्य नहीं थी। इसके अलावा, इस गवाह का साक्ष्य दर्शाता है कि जब अभियुक्त ने खुलासा किया कि उसने संतूराम की हत्या की है, तो वे सभी घटना स्थल के लिए रवाना हुए, और उन्होंने देखा कि संतूराम का शव मौके पर पड़ा था। यहाँ तक कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंडकोष और शिश्न का हिस्सा भी कटा हुआ था। अभियुक्त द्वारा की गई अतिरिक्त न्यायिकेतर संस्वीकृति की पुष्टि करने के बाद, वे गए और रिपोर्ट दर्ज कराई। इसलिए, अतिरिक्त न्यायिकेतर संस्वीकृति की गवाहों द्वारा देखी गई जमीनी स्थिति से पुष्टि होती है। अभियोजन साक्षी क्र. 3 पीलकरम ने उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि की है और कहा है कि अभियुक्त ने उनके, नत्थूराम, सुखारुराम और तिलकराम के समक्ष अतिरिक्त न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी। वे मृतक के पिता के घर उन्हें सूचित करने के लिए गए थे। उसके बाद, संतू के पिता और दादा घटना स्थल पर गए। वे कुछ दूरी पर थे। तनूराम की पत्नी की बहन ने भी उसे बताया कि तनूराम ने अपनी पत्नी को पीटा है, इसलिए वह भागकर उसके घर आई है। तनूराम ने न्यायिकेतर संस्वीकृति करते हुए उन्हें सूचित किया कि उसने नत्थू के धान के पुआल के ढेर के पास अपनी पत्नी और संतू के बीच कुछ कामुक हरकते देखी थी। उसने उन्हें यह भी बताया कि संतू की हत्या करने के अलावा, उसने अपनी पत्नी पर भी हमला किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस गवाह के साक्ष्य के पैरा-5 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस गवाह ने कहा है कि वे सोमवार की रात लगभग 12:00 बजे लौटे थे। बारात रविवार की सुबह गई थी, इसलिए वे रविवार की रात गाँव में नहीं थे।

लेकिन, हमें इस तर्क में कोई दम नहीं मिलता क्योंकि उसी पैरा के उत्तरार्ध में इस गवाह ने कहा है कि वह दिन बताना भूल गया था, इसलिए वह यह नहीं बता पा रहा है कि तनूराम ने सोमवार की रात को संतूराम की मृत्यु होने पर रोया था। यह एक मामूली विरोधाभास है। समय बीतने के कारण, सटीक दिन के बारे में ऐसे विरोधाभास होने की संभावना है। केवल इस आधार पर, इस गवाह के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, इस गवाह के साक्ष्य की अभियोजन साक्षी क्र. 2 तिलकराम के साक्ष्य और जमीनी स्थिति से पुष्टि होती है। इन गवाहों के प्रति-परीक्षण में, बचाव पक्ष ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं निकाल पाया है जो इन गवाहों के साक्ष्य को अविश्वसनीय या झूठा बनाती हो। इसलिए, उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, यह स्थापित है कि अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी क्र. 2 तिलकराम और अभियोजन साक्षी क्र. 3 पीलकरम की उपस्थिति में पंचायत के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी, और वह संस्वीकृति स्वैच्छिक और सत्य थी, इसलिए, उपरोक्त साक्ष्य से, विचाराधीन अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता स्थापित होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब अभियुक्त ने अपनी पत्नी और मृतक को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो अभियुक्त ने अपना आत्म-नियंत्रण खो दिया, उस घटना से उत्तेजित हो गया, आवेश की गर्मी में उसने, पहले अपनी पत्नी पर और उसके बाद मृतक पर हमला किया, इसलिए अभियुक्त का

कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद I के तहत आता है, अतः अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध नहीं बनता है।

दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क की विवेचना करने के लिए, हमने अभियोजन साक्षी क्र. 2 तिलकराम और अभियोजन साक्षी क्र. 3 पीलकरम के साक्ष्य का अवलोकन किया है। अपने साक्ष्य में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब अभियुक्त ने पंचायत के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब उसने अपनी पत्नी और मृतक को नत्थू के धान के पुआल के ढेर के पास आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो उसने पहले अपनी पत्नी पर और उसके बाद उस डंडे से मृतक पर हमला किया जो वह ले जा रहा था। इसलिए, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जब अभियुक्त ने अपनी पत्नी और मृतक को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो उसने मृतक पर हमला किया। यह स्वाभाविक है, जब अभियुक्त ने मृतक और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो उसने अपना आत्म-नियंत्रण खो दिया, उत्तेजना के परिणामस्वरूप, उसने उस डंडे से मृतक पर हमला किया जो वह ले जा रहा था, इस प्रकार, अभियुक्त का कार्य भारतीय दंड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संहिता की धारा 300 के अपवाद I के तहत आता है। इसके लिए, हम शीर्ष न्यायालय के निर्णय, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी, प्रतिवेदित **1998** क्रि.एल.जे. **1411**, द्वारा अपने विचार में पुष्ट होते हैं।

उक्त मामले में भी, अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की थी। जब अभियुक्त को पता चला कि एक रमी नामक व्यक्ति ने उसकी पत्नी के साथ अनुचित कार्य किए थे, तो अभियुक्त ने अपनी पत्नी और अभियोजन साक्षी क्र. 2 (रामे) के बीच कुछ आपत्तिजनक देखा जैसे ही वह खेत से घर में दाखिल हुआ, उस कार्य को देखकर, अभियुक्त अचानक विक्षिप्त हो गया, इसलिए अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद I का लाभ दिया गया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग I के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वर्तमान मामले में भी, यहाँ तक कि अभियोजन के गवाहों ने भी कहा है कि अभियुक्त ने न्यायिकेतर संस्वीकृति करते हुए कहा था कि उसने अपनी पत्नी और मृतक को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, इसलिए उसने अपने पास रखे उस डंडे से उस पर हमला किया जो वह ले जा रहा था। गवाह मौके पर गए जहाँ मृतक का शव पाया गया, यहाँ तक कि शिश्न और अंडकोष का हिस्सा भी अभियुक्त द्वारा काटा गया था जो मृतक के शरीर के पास पड़े थे। इसलिए, अभियुक्त का कार्य भारतीय

दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद I के तहत आता है। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग I के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से सफल होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उस पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश रद्द किए जाते हैं। इसके स्थान पर, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग I के तहत सिद्धदोष ठहराया जाता है और 8 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। यह कहा गया है कि अभियुक्त 24-5-98 से हिरासत में है, जिससे अभियुक्त 8 वर्ष 10 माह की सजा काट चुका है। इसलिए, हम अभियुक्त को उसके द्वारा पहले ही काटी गई सजा तक ही दंडित करते हैं। अभियुक्त को तत्काल रिहा किया जाए, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Tara Chandra Chouhan